भारत संघ

बनाम

दत्तात्रेय पुत्र नामदेव मेंढकर एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 1639/2008)

15 फरवरी, 2008

(के.जी. बालाकृष्णन, सी.जे.आई., सी. के. ठक्कर एवं आर. वी. रवींद्रन, जे.जे.)

सेवा कानून

नियुक्ति में आरक्षण- अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जिसमें उसे हल्वा जनजाति से दर्शाया गया है-जांच में प्रमाण पत्र गलत पाया गया-सेवा से हटाना- उच्च न्यायालय ने झूठे प्रमाण पत्र का मामला माना, लेकिन अभ्यर्थी को सेवा में बने रहने का निर्देश दिया, भले ही वह अनुसूचित जनजाति का नहीं- रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अभ्यर्थी द्वारा त्यागपत्र दिया- अभिनिर्धारित, जब एक व्यक्ति जाति/जनजाति के बारे में झूठा दावा करके रोजगार हासिल करता है, वह इससे संबंधित एक अनुसूचित जाति/जनजाति के वैध अभ्यर्थी को रोजगार से वंचित कर देता है। ऐसी स्थिति में, झूठे प्रमाण पत्र के आधार प्राप्त रोजगार को रद्द करना उचित कदम है ताकि पद एक सही अभ्यर्थी द्वारा भरा जा सके- उच्च न्यायालय मिलिंद के अनुपात की सराहना करने में विफल रहा-कि कर्मचारी ने झूठा दावा किया था कि वह अनुसूचित जनजाति से है, इससे उसे नौकरी में बने रहने का लाभ गलत तरीके से मिल गया। हालांकि, चूंकि कर्मचारी ने रिट याचिका पर निर्णय होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था और 13.10.2004 से कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुआ, उसके निष्कासन लाभ, यदि कोई हों,

का निपटान किया जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह किसी भी पेंशन लाभ के हकदार नहीं होंगे। (पैरा 5,7 और 8) [1099-ई, एफ, 1100-ई, एफ, जी)

बैंक ऑफ इंडिया बनाम अविनाश डी. मांडवीकर (2005) 7 एस.सी.सी.690] और अतिरिक्त महाप्रबंधक मानव संसाधन,भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम सुरेश रामकृष्ण बर्डे [(2007) 5 एस.सी.सी.336]-पर निर्भर था। (पैरा 6)

महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद [(2001) 1 एससीसी 4]-अनुपयुक्त ठहराया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं.1639/2008

रिट याचिका नं. 1176/1999 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के दिनांक 6.4.2005 के निर्णय और आदेश से

आर. मोहन ए.एस.जी., इंद्रा साहनी और सुषमा सूरी अपीलार्थी की ओर से।

वी. एन. रघुपति, डी. एस. माहरा, नीरा गुप्ता, जयश्री वाड, आशीष वाड, नीरज कुमार (मैसर्स जे. एस. वाड एंड कंपनी के लिए)। एस. एस. शिंदे और आशा जी. नायर प्रत्यर्थियों के लिए

न्यायालय आदेश निम्न द्वारा दिया गया-

के. जी. बालाकृष्णन, सीजेआई।

1. अनुमति दी गई। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. प्रथम प्रत्यर्थी, जिसने दावा किया था कि वह अनुसूचित जनजाति-हलबा से है, को दिनांक 21.6.1990 के कार्यालय ज्ञापन के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित एक पद पर जी. बी. पंत अस्पताल नई दिल्ली में मनोचिकित्सा के सहायक आचार्य के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जाति स्थिति सत्यापन के

अधीन नियुक्त किया गया था। जो दिनांक 20.9.1990 को कर्तव्य में शामिल हुआ। जिन शर्तोें के अधीन इसे नियुक्ति की पेशकश की गई थी, उनमें से एक यह थी कि यदि उनके द्वारा दी गई कोई भी घोषणा या दी गई जानकारी झूठी साबित हुई, तो इसे सेवा से हटाने और अन्य कार्यवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा जो भी सरकार उचित समझे। इनका यह दावा है कि ये एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, केस सत्यापन के लिए भेजा गया था। सत्यापन के बाद तहसीलदार मोहादी ने 9.5.1991 को एक सूचना भेजी कि प्रथम प्रत्यर्थी हलबा समुदाय से नहीं था। चूंकि प्रथम प्रत्यर्थी ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर प्रश्न उठाया और दावा किया कि वह हलबा जनजाति का है, इसलिए इनका दावा 16.10.1992 को सत्यापन के लिए जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान,पुणे को भेजा गया। 6.3.1999 को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जांच समिति ने मंत्रालय को सूचित किया कि प्रत्यर्थी हलबा जनजाति (एसटी) से संबंधित नहीं है। इसलिए मंत्रालय ने दिनांक 15.3.1999 को एक कार्यालय परिपत्र जारी किया जिसमें प्रथम प्रत्यर्थी को यह बताने के लिए कहा गया कि उसके द्वारा हलबा जनजाति से संबंधित होने का झूठा दावा करने के कारण क्यों नहीं उसकी सेवाएें समाप्त की जानी चाहिए। प्रथम प्रत्यर्थी ने जांच समिति के फैसले को रिट याचिका क्रमांक 1176/1999 में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.04.2005 के निर्णय द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी के दावे को अमान्य करते हुए सुरक्षा समिति के आदेश दिनांक 06.03.1999 को बरकरार रखा कि वह हलबा जनजाति का नहीं है और निर्देश दिया कि प्रथम प्रत्यर्थी निर्णय की तारीख से अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूपमें किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा। हालांकि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रथम प्रत्यर्थी की सेवाओें को इस आधार पर परेशान नहीं किया जायेगा कि वह अनुसूचित जनजाति से नहीं है। जनजाति के संबंध में दावे को अमान्य करने के बावजूद, सेवा में निरन्तरता का लाभ उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया था,

जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद-2001 (1) एस.सी.सी.4 में दिये गये निर्णय का अनुपालन था।

3. इस बीच 27.8.2004 को, प्रथम प्रत्यर्थी ने दिनाक 25.9.2004 से अपना इस्तीफा दे दिया और यह भी कहा गया है कि प्रथम प्रत्यर्थी 13.10.2004 से कर्तव्य पर नहीं आया है। मंत्रालय ने इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मामला अदालत में था। प्रथम प्रत्यर्थी ने दिनांक 25.3.2005 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया कि चूंकि उसने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए मामले पर गुणदोष के आधार पर विचार किए बिना उसकी रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है। रिट याचिका का निपटारा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया।

4. प्रथम प्रत्यर्थी को सेवा में जारी रखने के उच्च न्यायालय के निर्देश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि मिलिंद (सुप्रा) ने जाति/जनजाति के गलत दावे के आधार पर की गई नियुक्ति की रक्षा की है, यदि कर्मचारी ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए अपना दावा छोड़ दिया था और जांच कमेटी के आदेश को स्वीकार कर लिया था।

5. मिलिंद (सुप्रा) एक मेडीकल कॉलेज में प्रवेश से संबंधित है। उस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या राज्य सरकार या न्यायालय या अन्य प्राधिकारियों के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए विकल्प था और विशेष रूप से क्या "हलबा-कोष्ठी" का उप-विभाजन हलबा जनजाति था। इस न्यायालय ने माना कि किसी भी उप-विभाजन या अन्यथा को शामिल करके अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन या परिवर्तन करने की

अनुमति नहीं है। तथ्यों पर, इस अदालत ने पाया कि प्रत्यर्थी को 15 साल से अधिक समय पहले जनजाति श्रेणी में चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, हालांकि उनके प्रवेश से एक अनुसूचित जनजाति के छात्र को चिकित्सा सीट से वंचित होना पड़ा, लेकिन उस सीट का लाभ उस श्रेणी अनुसूचित जनजाति के छात्र को नहीं दिया जा सकता था, भले ही प्रत्यर्थी का प्रवेश रद्द कर दिया गया हो, और यदि उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया, तो इससे समाज के लिए एक डॉक्टर की सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा, जिस पर जनता का पैसा पहले ही खर्च किया जा चुका है। इन अजीबोगरीब परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने माना कि इस फैसले से प्रत्यर्थी द्वारा हासिल की गई डिग्रीयां डॉक्टर के रूप में उसकी प्रैक्टिस पर कोई असर नहीं डालेगी लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन उक्त निर्णय उस मामले पर लागू नहीं होता है जो किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से संबंधित नहीं हो, बल्कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का गलत दावा करके रोजगार हासिल करने से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति जाति/जनजाति के बारे में झूठा दावा करके रोजगार सुरक्षित करता है, तो वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक वैध उम्मीदवार को रोजगार से वंचित कर देता है। ऐसी स्थिति में रोजगार को रद्द करना ही उचित कदम है ताकि उस जाति के ऐसे उम्मीदवार से भरा जा सके कि जो आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है।

6. इस संबंध में, हम बैंक ऑफ इंडिया बनाम अविनाश डी मंडीविकर (2005) 7 SCC- 690 और अतिरिक्त महाप्रबंधक मानव संसाधन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम सुरेश रामकृष्ण बर्डे, 2007 (5) एस.सी.सी. 336 के फैसलों का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस न्यायालय ने माना कि जब कोई व्यक्ति झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हासिल करता है, तो उसे ऐसा करने के लिए अनुमत नहीं किया जा सकता, कि उसके द्वारा किये गये गलत के लाभ बरकरार रखने की अनुमति नहीं दी

जायेगी और उसकी सेवाएें समाप्त किये जाने योग्य हैं। बाद वाले मामले में इस न्यायालय ने मिलिंद को इस प्रकार समझाया-

> "उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को राहत दी है और केवल महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंट के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के आधार पर उसकी बहाली का निर्देश दिया है। हमारी राय में उक्त निर्णय कानून के ऐसे किसी सिद्धांत को निर्धारित नहीं करता है कि जहां कोई व्यक्ति गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके नियुक्ति प्राप्त करता है, उसकी सेवाआें की रक्षा की जा सकती हो और बहाली का आदेश पारित किया जा सकता हो, यदि वह यह वचन देता है कि भविष्य में वह और उसके परिवार के सदस्य वह जाति जो आरक्षित श्रेणी की है, होने का कोई लाभ नहीं लेंगे"

इस न्यायालय ने आगे कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में भी मिलिंद (सुप्रा) द्वारा दी गई सुरक्षा केवल तभी लागू होगी जहां उम्मीदवार ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और डिग्री हासिल कर ली है ना कि उन मामलों जहां कि जाति प्रमाण पत्र झूठा है और जिसके प्रवेश की तारीख से थोड़े समय के भीतर ही पता चल जाता है।

7. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय मिलिंद के अनुपात की सराहना करने में विफल रहा है। यह मानते हुए कि पहले प्रत्यर्थी ने झूठा दावा किया था कि वह अनुसूचित जनजाति से है, गलत तरीके से उसे रोजगार में बने रहने का लाभ दिया।

8. इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं। जहाँ तक वह अपीलाकर्ता प्रथम प्रत्यर्थी को सेवा में जारी रखने का निर्देश देता है। हालांकि, चूंकि प्रथम प्रत्यर्थी ने रिट याचिका पर निर्णय होने से पहले ही

अपना इस्तीफा दे दिया है, और 13.10.2004 से कर्तव्य पर नहीं आया है, इसलिए उसके सेवांत लाभ, यदि कोई हों, का निपटान किया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह किसी भी पेंशन लाभ का हकदार नहीं होगा।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेमराज सिंह चन्द्रावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।